प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
उप सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ::दिनांक: 26 मार्च, 2021**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-04-0409-खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजनान्तर्गत मजदूरी, टेलीफोन, किराया, चिकित्सा व्यय एवं पुनरीक्षित वेतन का अवशेष मदों में लम्बित दायित्वों के भुगतान हेतु धनराशि रू0-38.95 लाख की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-147/बजट/2020-21, दिनांकः 17.03.2021 के सन्दर्भ में एवं शासन के पुनर्विनियोग संख्या-आर0ई0-677/ई-399/दस-2021, दिनांक-26.03.2021 पृष्ठांकन संख्या-245/58-2-2021-300(1)/2021 दिनांक-26.03.2021 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-04-0409-खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना **में 01-वेतन मद मे हो रही बचतों के सापेक्ष** लेखाशीर्षक-2401-119-04-0409-खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना के 02-मजदूरी 09-विद्युत देय 17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व, 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) हेतु भुगतान मद में रू0-17.41 (रूपया सत्रह लाख इकतालिस हजार मात्र) की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित मदवार विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

धनराशि लाख रु0 में)	अनुदान सं0/लेखाशीर्षक कोड सं0/ मद का नाम जिसमें बचत हो रही है।	बचत की धनराशि	कोड सं0/मद का नाम जिसमें पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि अपेक्षित है।	पुनर्विनियोग के माध्यम से अवमुक्त धनराशि
अनुदान सं0-10 2401-119-04-0409-खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना	01-वेतन	38.95	02-मजदूरी	2.00
			09-विद्युत देय	5.50
			17-किराया , उपशुल्क और कर-स्वामित्व	8.29
			52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	1.62
योग				**17.41**

(रूपया सत्रह लाख इकतालिस हजार मात्र)

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। विचलन की स्थिति में इसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/वित्त नियंत्रक/आहरण वितरण अधिकारी एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

3- उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहां आवश्यक होगा सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

4- व्यय की गयी धनराशि का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि उक्त मद में कोई धनराशि बचती है तो उसे शासन को यथासमय समर्पित किया जायेगा।

.....2/-

5- अवमुक्त की जा रही धनराशि का सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाये।

6- उक्त धनराशि को पुर्नविनियोग के निर्धारित प्रपत्र सं0 बी0एम0-9 पर संलग्नक के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से व्यवस्थित की गयी है।

7- उक्त धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों के प्राविधानों के अनुसार नियंत्रक अधिकारी के नियंत्रण में किया जायेगा।

8. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य सुनिश्चित किया जायेगा।

9. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24/03/2020, संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक-07/04/2020, संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक-11/04/2020 एवं संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक-18/05/2020 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या-89/2021/276 (1)/58-2-2021, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in